प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.09.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा पोक्सो अधिनियम के अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 30.08.2025 को वादिया द्वारा थाना अंकुर विहार पर प्रार्थना-पत्र दिया कि मेरी पुत्री उम्र करीब साढ़े तीन वर्ष के साथ मेरी ननद के लड़के उम्र करीब 16 वर्ष द्वारा दो दिन पहले बुरा काम करने सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाल अपचारी की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 02.09.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में बाल अपचारी को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी द्वारा पूछताछ में बताया कि हमारे घर आस-पास है और वह मेरे घर पर आती जाती रहती थी। 4-5 दिन पहले जब घर में कोई नहीं था तो मैनें वादी की पुत्री के साथ गलत काम किया था।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त,कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में विशेष अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक थाना पर सी0सी0टी0वी0 कण्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त,कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, पारदर्शिता एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गाजियाबाद पुलिस द्वारा थानों पर **नव निर्मित सी0सी0टी0वी0 कण्ट्रोल रूम** के द्वारा थाना क्षेत्रों के महत्वपूर्ण चौराहों, सार्वजनिक एवं संवेदनशील स्थानों पर लगाये जा रहे कैमरों की मॉनीटरिंग की जा रही है। यह कैमरे पुलिस की **तीसरी आँख** के रूप में कार्य करेंगें जिनसे **विभिन्न घटनाओं की रियल टाइम मॉनीटरिंग** की जाएगी तथा इन कैमरों की मदद से कमिश्नरेट में अपराध नियंत्रण प्रणाली, यातायात व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी अन्तर्राज्यीय एवं जनपदीय सीमाओं पर बैरियर चेकिंग प्वांइट के साथ- साथ सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी लगाये जा रहें हैं जिनकी मॉनीटरिंग नव-निर्मित कण्ट्रोल रूम से की जा रही है।

अपराध नियंत्रण हेतु दिनांक 16.08.2025 से कमिश्नरेट के तीनों जोन के क्षेत्रों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित कराए जाने हेतु चलाए गए अभियान के दौरान कृत कार्यवाही का विवरण -

क्रम संख्या	जोन	अभियान के दौरान लगाए गए कैमरों की संख्या	सम्बन्धित थाना कार्यालय स्थित कण्ट्रोल रूम से मॉनीटर किये जा रहे कैमरों की संख्या
1	नगर	**134**	**134**
2	ट्रांस-हिण्डन	**186**	**139**
3	ग्रामीण	**358**	**322**
कुल योग कमिश्नरेट		**678**	**595**

पुलिस आयुक्त महोदय ने सी0सी0टी0वी0 कैमरे के सहयोग से पुलिसिंग में सुधार को लेकर निम्नलिखित अहम बातें साझा की –

- **रियल टाइम निगरानी** में कण्ट्रोल रूम से घटनाओं को तुरंत देखा जा सकता है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव होगी।
- यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत महत्वपूर्ण चौराहों एवं स्थानों की निगरानी व नियंत्रण में सहायता होगी।
- सी0सी0टी0वी0 फुटेज से अपराधियों की पहचान करना आसान होता है, जिससे गिरफ्तारी और अभियोजन में तेजी आती है।
- कैमरों की मौजूदगी ही कई बार संभावित अपराधियों को अपराध करने से रोक देती है।
- पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होता है,सी0सी0टी0वी0 से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर तुरन्त पहुँच सकती है।
- दुर्घटनाओं, दंगों या अन्य आपात स्थितियों में सी0सी0टी0वी0 से स्थिति का आकलन कर सही निर्णय लिया जा सकता है।
- सार्वजनिक एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सी0सी0टी0वी0 की मौजूदगी में जनता को सुरक्षा का एहसास होता है।

सी0सी0टी0वी0 सिर्फ तकनीकि नहीं बल्कि एक डिजिटल प्रहरी बन चुका है जो हर वक्त सतर्क रहता है। भविष्य में कमिश्नरेट के हर चप्पे-चप्पे, गली-मोहल्ले की निगरानी रखने के

लिए सी0सी0टी0वी0 नेटवर्क का विस्तार जारी है, जिसकी मदद से सुरक्षा व्यवस्था पहले से कही ज्यादा मजबूत हो रही है।

पुलिस आयुक्त महोदय के कुशल निर्देशन में पुलिस प्रणाली को और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐसे अभियान निरन्तर जारी रहेंगे।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा पोक्सो अधिनियम के अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 30.08.2025 को वादिया द्वारा थाना अंकुर विहार पर प्रार्थना-पत्र दिया कि मेरी पुत्री उम्र करीब साढ़े तीन वर्ष के साथ मेरी ननद के लड़के उम्र करीब 16 वर्ष द्वारा दो दिन पहले बुरा काम करने सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाल अपचारी की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 02.09.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में बाल अपचारी को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी द्वारा पूछताछ में बताया कि हमारे घर आस-पास है और वह मेरे घर पर आती जाती रहती थी। 4-5 दिन पहले जब घर में कोई नहीं था तो मैनें वादी की पुत्री के साथ गलत काम किया था।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 02.09.2025 को थाना खोडा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त विशाल राठी पुत्र योगेश राठी निवासी गली न0 2 शिव विहार कालू सीमेन्ट आफिस के पास खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद व 2. बादल राठी उर्फ संदीप राठी पुत्र मनोज कुमार राठी निवासी वन्दना विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद

के विरुद्ध धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 06 माह के लिये 02 अभियुक्त विशाल राठी उपरोक्त व बादल राठी उपरोक्त की जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 02.09.2025 को थाना खोडा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त विशाल राठी व बादल राठी उपरोक्त को आदेश की तामील कराते हुए आदेश की एक प्रति अभियुक्त विशाल राठी व अभियुक्त बादल राठी उपरोक्त को दी गयी तथा दोनों अभियुक्त विशाल राठी व बादल राठी उपरोक्त की ढोल नगाडों की मुनादी कराते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी की अभियुक्तगण को दिनांक 02.09.2025 को 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना खोडा पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. विशाल राठी पुत्र योगेश राठी निवासी गली न0 2 शिव विहार कालू सीमेन्ट आफिस के पास खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. बादल राठी उर्फ संदीप राठी पुत्र मनोज कुमार राठी निवासी वन्दना विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त विशाल राठी उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर गाली गलौच व मारपीट करने से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त बादल राठी उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर गाली गलौच व मारपीट करने से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वार चोरी की घटना को कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ पीली धातु का 01 नेकलेस, कान की 02 इयररिंग व चोरी से सम्बन्धित 3,000/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 01.09.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी द्वारा तहरीर दी गई की अभियुक्त उमर द्वारा वादी के घर से गले का हार, इयररिंग, अंगूठी व रुपये चोरी कर लिये गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 02.09.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त मौ0 उमर पुत्र अय्यूब सैफी निवासी ग्राम नारायणपुर वासका थाना कफुरपुर जनपद हापुड उम्र करीब 23 वर्ष को परशुराम कट के पास नर्सरी चौक से चोरी किया हुआ पीली धातु का 01 नेकलेस, कान की 02 इयररिंग व चोरी से सम्बन्धित 3,000/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 उमर पुत्र अय्यूब सैफी उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 उमर पुत्र अय्यूब सैफी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने फ्लैट न0 1101 सन टावर शिप्रा सन सिटी गाजियाबाद में इलैक्ट्रिशियन का काम बहुत दिनों से कर रहा था । मकान मालिक कही बाहर गये हुए थे उसी दौरान अभियुक्त उपरोक्त बाथरुम में लगी हुई खिडकी व उसके पीछे बालकानी की तरफ से कमरे के अन्दर आने का रास्ता देख लिया था । अभियुक्त उपरोक्त ने मौका देखकर बाथरुम की खिडकी से अन्दर आकर कमरे में स्थित अलमारी में रखा सामान एक नैक्लेस, इयररिंग व कुछ पैसे चोरी कर लिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 उमर पुत्र अय्यूब सैफी निवासी ग्राम नारायणपुर वासका थाना कफुरपुर जनपद हापुड उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी किया हुआ पीली धातु का 01 नेकलेस, कान की 02 इयररिंग व चोरी से सम्बन्धित 3,000/- रुपये बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- अभियुक्त मौ0 उमर पुत्र अय्यूब सैफी उपरोक्त के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगणो के विरुद्द धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही की गई ।

दिनांक 28.08.2025 को अभियुक्तगण 1. मनोज कुमार पुत्र सुरेश चन्द उर्फ सूबे निवासी गली न0 3 नन्दनगरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद के विरूद्ध वाद संख्या -121/25 के अन्तर्गत 2. हेमन्त कुमार पुत्र सुरेशचन्द उर्फ सूबे निवासी गली न0 3 नन्दनगरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद के विरुद्ध वाद संख्या 122/2025 के अन्तर्गत व 3. विकास पुत्र अशोक कुमार निवासी गली न0 2 श्याम विहार बिसोखर थाना मोदीनगर कमिश्रेट गाजियाबाद के विरुद्ध वाद संख्या 125/2025 के अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 06 माह के लिए अभियुक्तगण उपरोक्त को जिला बदर किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 02.09.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. मनोज कुमार 2. हेमन्त कुमार व 3. विकास उपरोक्त को आदेश की तामील कराते हुये आदेश की एक प्रति अभियुक्तगणो को दी गयी तथा अभियुक्तगण उपरोक्त की ढोल नगाडों के साथ मुनादी कराते हुये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर किया गया । साथ ही मुनादी कराकर लोगों से अपील की गयी कि अभियुक्तगणो के आज दिनांक से 06 माह तक अपने घर पर आने की या जिले में रहने की सूचना प्राप्त होती है तो थाना मोदीनगर पुलिस को अवगत कराने का कष्ट करें ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1- अभियुक्त मनोज कुमार उपरोक्त के विरूद्ध मारपीट व एससी एसटी एक्ट सम्बन्धी थाना मोदीनगर पर कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
2- अभियुक्त हेमन्त कुमार उपरोक्त के विरूद्ध मारपीट व एससी एसटी एक्ट सम्बन्धी थाना मोदीनगर पर कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
3- अभियुक्त विकास उपरोक्त के विरुद्ध अपहरण व हत्या के प्रयास सम्बन्धी कुल 02 अभियोग थाना मोदीनगर पर पंजीकृत है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।